



dfo\_chakrata\_uta@yahoo.co.in  
टेली, फैक्स नं०-01360-275078

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।**

पत्रांक-497/12-1 दिनांक, चकराता 13 अगस्त 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

**विषय:-** जनपद-देहरादून के अन्तर्गत शम्भू की चौकी से ददऊ-पंजिया-बनसार-तुरउ तक विस्तार किमी० 2 से 11 तक मार्ग निर्माण हेतु 1.8536 है० वनभूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

**संदर्भ :-** 1-प्रस्ताव संख्या-FP/UK/Road/10464/2015  
2-आपका पत्रांक-471/12-1(1) दि० 11.08.2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों के कम में वॉछित सूचना निम्नानुसार है-

**बिन्दु सं०-1-**Form-A Part-II के बिन्दु सं०-13 Details of compensatory afforestation scheme : 4.82 lacs (Estimate is attached). बिन्दु सं०-14 की सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा भरी जानी है।

**बिन्दु सं०-2-**भाग-2 का हिन्दी में भरा जाना वाला प्रपत्र संलग्न है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**संलग्नक :-** उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डा० दिवाकर सिन्हा)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता

VSA

कार्य का नाम:- जनपद-देहरादून के अन्तर्गत शम्भू की चौकी से ददऊ-पंजिया-बनसार-दुरउ तक विस्तार  
किमी0 2 से 11 तक मार्ग निर्माण हेतु 1.8536 है0 हेतु वन भूमि  
(लम्बाई-10.00 किमी0)

भाग - 2  
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं0.....

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद-देहरादून के अन्तर्गत शम्भू की चौकी से ददऊ-पंजिया-बनसार-दुरउ तक विस्तार किमी0 2 से 11 तक मार्ग निर्माण हेतु 1.8536 है0 वन भूमि का लो0नि0वि सहिया को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	चकराता वन प्रभाग
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल है0 में	1.8536 है0 वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	1.8536 है0 सिविल सोयम भूमि (River Range Kalsi)
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.2
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल, एफ.आर.एल-2 मी0 पर परिगणना और एफ.आर.एल-4 मी0 भी संलग्न किये जाये	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 500 वृक्ष बाधित हैं जिनमें बांज वृक्षों की संख्या 0 है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 23 से 24 तक संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बाबत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून के भूवैज्ञानिक की भूगर्भीय आख्या संलग्न-प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 128 पर चर्चा है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि के सिविल सोयम भूमि (River range Kalsi) की सीमा के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कौरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या . 85 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें	नहीं।
(xii)	यदि कोई सुरक्षित पुरातत्वीक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो तो दें।	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 132 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनत है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या 84 पर संलग्न है।

9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्या किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 140 से 141 तक पर संलग्न है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 140 से 141 पर संलग्न है साथ ही प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु भी प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 144 पर संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां :- जलवायू के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां कार्यन्वयन एजेंसी :- स्वयं वन विभाग समय :- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत :- क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु ₹ 4.82 लाख का प्राक्लन पृष्ठ संख्या 140 से 141 तक संलग्न है एवं रिक्त स्थान उचित वृक्षारोपण हेतु ₹ 20.00 लाख का प्राक्लन पृष्ठ संख्या 144 पर संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	₹ 4.82 लाख क्षतिपूरक वृक्षारोपण। ₹ 20.00 लाख परियोजना के आस-पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्लन प्रतिहस्ताक्षरित और प्रमाणित है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधिनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके पृष्ठ संख्या 20 पर संलग्न है। अद्योहस्ताक्षरित द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	चकराता वन प्रभाग/जिला - देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	3088 वर्ग किमी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्रफल	2116 वर्ग किमी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 346.902 है। वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र .....है० है इसमें आरक्षित वन क्षेत्र .....है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि - (ख) वनोत्तर भूमि पर -	(क) 346.902 है० (ख) रिक्त
(v)	अब तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर - (ख) वनोत्तर भूमि पर -	(क) 673.61 है० में प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त

13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार तथा अद्योहस्ताक्षरित द्वारा दिनांक 30/07/15 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।
----	---	---

दिनांक :- 13-8-2015

स्थान :- चम्पल

हस्ताक्षर

नाम :- (डा. दिनाकर (वि.स.))

सरकारी मोहर

प्रभागीय वन्यजिकाई  
चक्राता बन् प्रभाग  
चक्राता (वि.स.सदून)

13/8

**प्राक्कलन क्षतिपूरक वृक्षारोपण**  
 प्राक्कलन बावत शम्भू चौकी से पंजिया बनसार पुरोक मोटर मार्ग में (2 किमी० से 11 तक)  
 प्रस्तावित क्षेत्रफल (1.8536×2=3.7072) हे० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य

क्र० सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	व्यय प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)				
1	सर्वे एवं सीमांकन	हे०	3.707	92.00	341.06
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	हे०	3.707	1214.00	4500.54
3	अग्रिम दिवाल बन्दी (फैन्सिंग)	हे०	313.95	224.00	70324.80
	कन्दूर फरों कार्य				
	अग्रिम मृदा कार्य (0.30×0.30×0.45)	सं०	7414	5.70	42259.80
6	निरीक्षण बटिया बनाना	हे०	3.000	373.00	1119.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	सं०	7414	4.58	33956.12
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र-संयंत्र औजार तेज करना	हे०	3.000	376.00	1128.00
	मे संरक्षण एवं जल संरक्षण	हे०	0.00	7040.00	0.00
	योग प्रथम चरण				153629.32
	द्वितीय चरण				
1	गड्डा भरान कार्य (0.30×0.30×0.45)	सं०	7414	0.97	7191.58
2	कन्दूर फरों में बीज बुवाई	हे०	0	0.00	0.00
3	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	सं०	7414	0.82	6079.48
4	पौध डुलान कार्य (20 किमी० तक)	सं०	7414	8.00	11862.40
	पौध लोडिंग एवं अनलोडिंग	सं०	7414	56.00	4151.84
	पौध रोपण एवं थावलाबन्दी	सं०	7414	2.00	14828.00
	निराई गुडाई एवं मल्लिंग (दो बार)	सं०	7414	2.00	14828.00
	खाद व दवा पर व्यय	सं०	0	0.00	0.00
9	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 हे० पर)	हे०	3.7072	475.00	14087.36
	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०।	हे०	3.7072	282.00	1045.43
	9.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना।	हे०	3.7072	213.00	789.63
	9.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	हे०	0	0.00	0.00
	अ- प्रशिक्षण	ल०स०	0.00	0.00	0.00
	ब- प्रोत्साहन	हे०	3.7072	222.00	823.00
10	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पीलीथीन सीट कय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी, फील्ड, स्तरीय, कार्यों का प्रचार-प्रसार एवं डॉक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	हे०	3.7072	1021.00	3785.05
11	कन्दूर खाईयों में घास रिलफ का रोपण डुलान सहित।	हे०	0	0.00	0.00
	योग द्वितीय चरण				79471.77
	कुल योग प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण				233101.10

141

तृतीय चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	3.7072	475.00	21131.04
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे-घास फेस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0।	है0	0.00	0.00	0.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना।	है0	0.00	0.00	0.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	है0	0	0.00	0.00
	अ- प्रशिक्षण	है0	0	0.00	0.00
	ब- प्रोत्साहन	है0	0	0.00	0.00
	योग तृतीय चरण				21131.04
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	3.7072	634.00	28204.38
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे-घास फेस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0।	है0	0.00	0.00	0.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना।	है0	0.00	0.00	0.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	है0	0	0.00	0.00
	अ- प्रशिक्षण	है0	0	0.00	0.00
	ब- प्रोत्साहन	है0	0	0.00	0.00
	योग चतुर्थ चरण				28204.38
	पंचम चरण				
5	रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है0	3.7072	749.00	33320.31
	षष्ठम चरण				
6	रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है0	3.7072	749.00	33320.31
	सप्तम चरण				
7	रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है0	3.7072	749.00	33320.31
	अष्टम चरण				
8	रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है0	3.7072	749.00	33320.31
	नवम चरण				
9	रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है0	3.7072	749.00	33320.31
	दशम चरण				
10	रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	है0	3.7072	749.00	33320.31
	कुल योग				199921.88
	महा योग				482358.40
	या -				482000.00

बनारसी नगरपालिका  
बकरावा वन प्रभाग  
काठमाडौं

वन विभाग  
वीर पत्र  
बकरावा वन प्रभाग

बनारसी नगरपालिका  
बकरावा वन प्रभाग